पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 04/2014/अपील

भीखाराम पुत्र कुशलाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम सांगरवा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

1. औमप्रकाश पुत्र स्व0 कुशलाराम
2. लिछमण पुत्र स्व0 कुशलाराम
3. भगवानी देवी पुत्री स्व0 कुशलाराम
4. बिदामी देवी पुत्री स्व0 कुशलाराम

} समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम सांगरवा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

5. उप—पंजीयक, पलसाना तह. दांतारामगढ, जिला सीकर राज0
6. तहसीलदार दांतारामगढ़, जिला सीकर

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 327 दिनांक 19.06.1992 वाके ग्राम सांगरवा द्वारा सहायक भू—प्रबंधक अधिकारी

वकील अपीलांट श्री भंवरलाल बिजारणिंया
वकील रेस्पोडेंट श्री हरीसिंह बाजिया, श्री सुरजभानसिंह

निर्णय **दिनांकः—22.10.2019**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि खसरा नम्बर 188 रकबा 1.20 हैक्टर ग्राम सांगरवा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में अवस्थित है, जिसके पुराने खसरा नं 55 रकबा 1.28 हैक्टर थे। उक्त कृषि भूमि खसरा नं. 55 पुराने पूर्व में अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के पिता स्व0 कुशलाराम के खाते कब्जे काश्त की थी। उपरोक्त कुशलाराम पुत्र कानाराम गुर्जर का स्वर्गवास होने पर जरिये विरासत नामान्तकरण संख्या 327 दिनांक 19.07.1992 को भू प्रबन्धक के समय कैम्प सांगरवा, तह. दांतारामगढ में सहायक भू प्रबन्धक अधिकारी द्वारा तस्दीक किया गया। उपरोक्त नामान्तकरण संख्या दिनांक 19.07.1992 तस्दीक करने से पूर्व मृतक स्व0 कुशलाराम के वारिसान की पूर्ण जांच नहीं की गई। जबकि स्व0 कुशलाराम के निम्न वारिसान थे।

स्व0 कुशलाराम

जमना (मृत)	गणपत पुत्र (मृत)	मोहन पुत्र मांगुराम गुर्जर	रामेश्वर सुखदेवाराम नि.पुरोहित	ओमप्रकाश पुत्र (रेस्पो. सं. 1 व 2)	लिछमण पुत्र	भीखाराम पुत्र (अपीलांट)

पन्नाराम गुर्जर निवासी हरिपुरा गोद (फौत) गोद चला गया

भगवानी(पुत्री), बिदामी(पुत्री) रेस्पो. सं. 3 रेस्पो. सं. 4

स्व0 कुशलाराम के वैध वारिसान की बिना जांच किये ही सहायक भू प्रबन्धक अधिकारी द्वारा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हक में नामान्तकरण संख्या 327 तस्दीक कर दिया। उक्त आराजी पर स्व0 कुशला की मृत्यु के पूर्व से ही अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। विरासत का नामान्तकरण स्वीकार करने व इसके सम्बन्ध मे किसी भी प्रकार की आज्ञा पारित करने का एकमात्र अधिकार सम्बन्धित ग्राम पंचायत को है। नियमानुसार नामान्तकरण सम्बन्धित ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत होने के 45 दिन के अन्दर ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी किस्म की आज्ञा पारित न करने पर उपखण्ड अधिकारी की आज्ञा से ही भू प्रबन्ध को नामान्तकरण सम्बन्धी आज्ञा पारित करने का अधिकार है। नामान्तकरण जैर अपील सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के समक्ष दिनांक 19.06.1992 को प्रस्तुत हुआ था जिस अधिनस्थ सहायक भू प्रबन्धक अधिकारी ने बिना किसी तथ्य एवं वारिसान की जांच किये ही जैर अपील नामान्तकरण संख्या 327 दिनांक 19.06.1992 को ही स्वीकार कर भावी कानूनी भूल की जबकि स्व0 कुशला के वैध वारिसान अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 को वंचित करते हुये नामान्तकरण संख्या 327 स्वीकार कर दिया। योग्य सहायक भू प्रबन्धक अधिकारी ने नामान्तकरण संख्या 327 दिनांक 19.07.1992 स्वीकार करने से पूर्व विवादित आराजी के कब्जे, काश्त सम्बन्धी कोई जांच नहीं की और न ही कब्जे के सम्बन्ध में किसी प्रकार की रिपोर्ट पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का से प्राप्त की। अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 का वादग्रस्त आराजियात पर निरन्तर कब्जा चला आ रहा है, उन्हे कोई नोटिस व सूचना दिये बिना ही नामान्तकरण स्वीकार कर दिया जो कि प्राकृतिक न्याय व न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 327 ग्राम सांगरवा दिनांक 19.06.1992 निरस्त किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खातेदारी अपीलांट व रेस्पो. संख्या 1 लगायत 4 के हक में स्वीकार किए जाने की आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन नामांतकरण कुशला पुत्र काना गुजर सा.देह से ओमप्रकाश पुत्र कुशला जमना बेवा कुशला कौम गुजर सा.देह के नाम मुताबिक सूची के आधार पर तस्दीक किया हुआ है। अपीलाधीन नामांतकरण में केवल मात्र विरासत कुशला का अंकन किया हुआ है। नामांतकरण के कॉलम संख्या 16 में मुताबिक सूची ग्राम प्रशासन सांगरवा के आधार नामांतकरण स्वीकार किया जाना अंकित किया हुआ है। अपीलाधीन नामांतकरण किस आदेश के आधार पर तस्दीक किया हुआ है ? ना ही सजरा /वारिसान की जांच के संबंध में स्पष्ट टिप्पणी की गई है। इस सम्बंध में किसी प्रकार का अंकन नहीं किया गया है। अतः अपीलाधीन नामांतकरण का केवल मात्र सरसरी अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि अपीलाधीन नामांतकरण तस्दीक करने से पूर्व मृतक कुशला के विधिक वारिसान की जांच भली भांती नहीं करना जाहिर होता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामांतकरण संख्या 327 वाके ग्राम सांगरवा दिनांक 19.06.1992 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार दांतारामगढ़ को प्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अपीलाधीन नामांतकरण के सम्बंध में मृतक कुशला के विधिक वारिसान की जांच की जाकर नये सिरे से नामांतकरण तस्दीक करे।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

(जगत प्रकाश)